न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—552 / 2019
ओबरा थाना कांड संख्या :—210 / 2022

04.06.2022 आवेदकगण नामतः बिरेन्द्र कुमार सिंह एवं आलोक कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । आवेदकगण की ओर से उक्त वाद में जप्त वाहन की कागजात एवं चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदकगण के विरूद्ध उक्त वाद में लगाये गये धाराएँ लागू नही होता है । आवेदक बिरेन्द्र कुमार सिंह एवं आलोक कुमार उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर निवंधन सं0—BR26GA8551 एवं टेलर निवंधन संख्या—BR26GA8552 का कमशः स्वामी एवं चालक है । आवेदकगण को उक्त वाद में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है । आवेदकगण के द्वारा हरजाना की राशि जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में जमा कर दिया है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध बालू चोरी करने के आरोप में धारा 379 एवं 411 भा0दं0सं0 एवं एमएमडीआर एक्ट 1975 के नियम 4 एवं 21, बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 के नियम 11 एवं 43, संशो0 नियमावली 2021 के नियम 56 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उक्त वाद में जप्त वाहन के स्वामी मोहम्मद वसीम खान के द्वारा हरजाना की राशि जमा कर दी गई है, जिससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक—896 / ख0 दिनांक—02.06.2022 से समर्पित किया गया है, जिसमें दर्शित होता है कि मो0—31000 / —रूपया जमा की गई है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण, विचारण के दौरान वाद के सुनवाई में सहयोग करेंगे, भागेंगे नहीं ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदकगण का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण को मो0—25000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर